

18⁰³/₂₅

पत्रानली पेथ हुई। अधिवक्ता वादी उप।
 प्रतिवादी संख्या 05 सी. उप। अधिवक्ता
 वादी ने प्रा.पत्र नया बाद पेथ करने की अनुमति
 प्राप्त करते हुए प्रस्तुत बाद बिट्टी किये जाने
 बाबत आदेश 23 निपट 1 व धारा 151
 CPC प्रस्तुत किया। निवेदन किया गया की प्रस्तुत
 उन्नानी प्रकरण में कुछ पहलुओं की मूल्या हे
 चुकी है तथा कुछ ने अपना हिस्सा विद्य
 कर दिया है। इस कारण इस उन्नानी प्रकरण
 को बिट्टी कर नवीन बाद पेथ करना चाहिए
 है। अतः प्राथमिकता का प्रस्ताव स्वीकार किया
 जाकर नवीन बाद की अनुमति प्रदान की।
 प्रस्तुत प्रा.पत्र व पत्रानली का अवलोकन
 किया जाकर प्रस्तुत प्रा.पत्र नया बाद पेथ
 करने की अनुमति प्रदान करते हुए प्रस्तुत बाद
 बिट्टी किये जाने बाबत स्वीकार किया जाता
 है। पत्रानली-निर्णय नुसार होकर दफ्तर
 दाखिल हो एवं निपट नुसार नम्बर से क्रम

है।
 उप संकेत अधिकारी
 बीपल (टीक)